



प्रेषक,

डा० रोशन जैकब,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,

उ०प्र०, लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 25-02-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-36 के लेखाशीर्ष 22100600104 खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद 01 वेतन से रू० 59.00 लाख की धनराशि का विभिन्न मानक मदों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-36 के लेखाशीर्ष 22100600104 के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 1,15,54,85,000.00 (रु० एक अरब पन्द्रह करोड़ चौवन लाख पच्चासी हजार मात्र) में से संलग्न बी०एम०-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष 22100600104 खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू० 59,00,000.00 (रु० उनसठ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यवस्थित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- 1- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- 3- जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- 5- स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आर.ई. संख्या-बजट-1-359 दिनांक 23.02.2026 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया
रोशन जैकब
सचिव।

संख्या-19/2026/1/1250825/2026/88-102(001)/2/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रेखा० एस० चौहान,
विशेष सचिव

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
A088-20252026-88-102-001-2-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-36 के लेखाशीर्ष 22100600104 खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद-01-वेतन से रु0 200.00 लाख की धनराशि का विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	01 (वेतन)	1,15,54,85,000 रुपये एक अरब पन्द्रह करोड़ चौवन लाख पचासी हजार मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	59,00,000 रुपये उनसठ लाख मात्र	1,14,95,85,000 रुपये एक अरब चौदह करोड़ पंचानबे लाख पचासी हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,00,00,000	₹ 59,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	1,22,00,000 रुपये एक करोड़ बाईस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	37,00,000 रुपये सैंतीस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	38,00,000 रुपये अड़तीस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	08 (कार्यालय व्यय)	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2025-2026
036	2210060010400 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना)	04 (यात्रा व्यय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	0 शून्य	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,00,00,000	₹ 59,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- (1) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

संख्या: RE-budget-1-359-E-3-300-X-2025-26-दिनांक: 23-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ०प्र० प्रयागराज


अभिजित
अनु सचिव


कपिल देव भारती
उप सचिव

संख्या : /88-102(001)/2/2023, दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक ।

आज्ञा से


अभिजित
अनु सचिव